मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–मार्च, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 12 फरवरी,1997 (माघ 23,1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, भूपेन्द्र सिंह, प्रेमप्रकाश पाण्डेय, सदस्य बस्तर जिले में "मालिक मकबूजा" नियम के तहत वनों की अवैध कटाई किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (राजस्व) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अखण्ड प्रताप सिंह, लक्ष्मीकान्त शर्मा, गोपीकृष्ण नेमा, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ओरछा तिगैला पर पृथ्वीपुर निवासी दो व्यक्तियों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराया जाना तथा दस्तावेजों का पेश कराया जाना) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 2 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

4. राज्यपाल के अभिभाषण पर चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 1997 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ है ".

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 11 फरवरी, 1997